

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जनवरी, 2019-पौष 21, शके 1940

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

मैं, राकेश कुमार धानका आत्मज श्री चौथमल जी धानका आयु-वयस्क निवासी-505, डी-2, डी-सेक्टर, बी.एच.ई.एल. भोपाल (म.प्र.) का हूँ. मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम राकेश कुमार दर्ज है. एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम राकेश कुमार धानका दर्ज है. जिन दस्तावेजों में मेरा नाम राकेश कुमार दर्ज है उसके स्थान पर राकेश कुमार धानका आत्मज श्री चौथमल जी धानका पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :

( राकेश कुमार )

(800-बी.)

नया नाम :

( राकेश कुमार धानका )

#### नाम परिवर्तन

मैं, कपिल कुमार मातिखाये आत्मज श्री विजय कुमार मातिखाये आयु-वयस्क निवासी-डी-29, वर्धमान ग्रीन वेली एक्सटेंशन, अवधपुरी, बीडीए रोड भोपाल (म.प्र.) का हूँ. मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम कपिल कुमार दर्ज है, एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम कपिल कुमार मातिखाये दर्ज है. जिन दस्तावेजों में मेरा नाम कपिल कुमार दर्ज है उसके स्थान पर कपिल कुमार मातिखाये आत्मज श्री विजय कुमार मातिखाये पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :

( कपिल कुमार )

(801-बी.)

नया नाम :

( कपिल कुमार मातिखाये )

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम अनिता गार्डे था जिसे मैंने परिवर्तित करके अंकिता अत्रे कर लिया है. अतः अब मुझे मेरे नये नाम अंकिता अत्रे से जाना व पहचाना जावे एवं मेरे समस्त शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों जिनमें मेरा आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट आदि शामिल हैं, में मेरा नाम अंकिता अत्रे लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

( अनिता गार्डे )

(802-बी.)

नया नाम :

( अंकिता अत्रे )

पता-402, दिलपसंद टावर, रेस कोर्स रोड,  
इन्दौर- 452001. (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्वविदित है कि मैं प्रेमपाल सिंह जादौन पुत्र श्री प्रताप सिंह जादौन, निवासी कीरतपुर, जिला मुरैना, तहसील जौरा, मध्यप्रदेश निवासी हूँ शपथपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम जन्म प्रमाण-पत्र में पायल जादौन दर्ज है व जन्मतिथि 09-02-2008 है कमलाराजा हॉस्पिटल ग्वालियर में पैदा हुई थी. स्कूल के अन्य दस्तावेजों में मेरी पुत्री का नाम प्राची जादौन है. अतः मेरी पुत्री का नाम अब जन्म प्रमाण पत्र में प्राची जादौन किया जावे व अब से उसे प्राची जादौन के नाम से ही जाना जावे.

(803-बी.)

प्रेषक :  
( प्रेमपाल सिंह जादौन )

### CHANGE OF NAME

I, Manish Kumar Mishra S/o Rajmani Prasad Mishra have changed my name to Mann Mishra from 31-08-2018. from this date and hereafter I would be known as mann Mishra in future.

Old Name:  
( MANISH KUMAR MISHRA )  
( मनीष कुमार मिश्र )

New Name :  
( MANN MISHRA )  
( मन मिश्र )  
S/o Rajmani Prasad Mishra,  
Add.—Plot No.52, Scheme No 114,  
Indore (M.P.).

(807-B.)

### CHANGE OF NAME

I, Dipesh Singhi have changed my name to Gopaal Singhii S/o Laxmi Narayan Singhi and now I would be known as Gopaal Singhii S/o Laxmi Narayan Singhi.

Old Name:  
( DIPESH SINGHI )

New Name :  
( GOPAAL SINGHII )  
Add.—196, Gumasta Nagar,  
Indore (M.P.).

(808-B.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री का नाम युवांशी माहेश्वरी था, जिसे अब हमने बदलकर अन्वी माहेश्वरी कर लिया है. अतः मेरी पुत्री को समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में उसके नये नाम अन्वी माहेश्वरी से ही लिखा एवं पढ़ा जावे.

(809-बी.)

प्रार्थी  
निलेश माहेश्वरी (पिता)  
ई-2815, सुदामा नगर, इन्दौर ( म.प्र. ).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री तनीशा शर्मा व खुशी शर्मा पुत्री हृदयेश शर्मा (Hridyesh Sharma) जिसका स्कूल में नाम गलती से अंग्रेजी में (Tanisha Sharma D/o. Hrdyesh Sharma & Khushi Sharma D/o Hrdyesh Sharma) लिखा गया है. उन्हें उनके सही नाम ( Tanisha Sharma D/o. Hridyesh Sharma & Khushi Sharma D/o Hridyesh Sharma) के नाम से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :  
(HRDYESH SHARMA)

नया नाम :  
(HRIDYESH SHARMA)  
67, B.G. Scheme No. 74 C,  
Vijay Nagar, Indore (M.P.).

(810-B.)

### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं राय सिंह बडेरिया पुत्र श्री लक्ष्मण जाटव यह कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम राय सिंह जाटव Ray Singh Jatav अंकित है. जबकि मेरा सही नाम राय सिंह बडेरिया Ray Singh Baderiya है. जो कि मेरे आधार कार्ड,

पेनकार्ड, बैंक पासबुक में सही नाम अंकित है. अब मैंने अपना नाम राय सिंह जाटव Ray Singh Jatav के स्थान पर राय सिंह बडेरिया Ray Singh Baderiya रख लिया है. अतः अब मुझे भविष्य में राय सिंह बडेरिया Ray Singh Baderiya के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(रायसिंह जाटव)

**(RAY SINGH JATAV)**

(813-बी.)

नया नाम :

(राय सिंह बडेरिया)

**(RAY SINGH BADERIYA)**

पुत्र-श्री लक्ष्मण जाटव,  
निवासी-शिंदे की छावनी, भारत टॉकीज के सामने,  
लशकर, ग्वालियर.

### नाम परिवर्तन

पहले मेरा नाम दिपिका हासवानी पुत्री स्व. श्री प्रकाशचन्द्र हासवानी था. शादी के बाद मेरा परिवर्तित नाम श्रीमती हेमा सुन्दरानी पति दीपक सुन्दरानी हो गया है. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाये एवं मेरे सभी दस्तावेजों में यही पढ़ा जाये.

पुराना नाम :

(दिपिका हासवानी)

(815-बी.)

नया नाम :

(हेमा सुन्दरानी)

पत्नी-श्री दीपक सुन्दरानी,  
निवासी-म. न. 806, सेक्टर-ए, अशोका गार्डन,  
जैन मंदिर के पास, भोपाल (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अमित शर्मा पिता स्व. अमरनाथ शर्मा, उम्र 27 वर्ष, निवासी विकास नगर, वार्ड क्रमांक 10, कोतमा, जिला अनूपपुर का निवासी हूँ. हमारे सभी आवश्यक दस्तावेजों में मेरा नाम अमित शर्मा अंकित है, लेकिन कुछ दस्तावेज में अमित कुमार शर्मा अंकित है, अमित शर्मा व अमित कुमार शर्मा दोनों हमारे ही नाम हैं, यह कि भविष्य में हमें केवल अमित शर्मा के नाम से ही जाना जाए.

पुराना नाम :

(अमित कुमार शर्मा)

(816-बी.)

नया नाम :

(अमित शर्मा)

पिता-स्व. अमरनाथ शर्मा,  
निवासी-विकास नगर, वार्ड क्र. 10, कोतमा,  
जिला अनूपपुर (म.प्र.).

### जाहिर सूचना

(धारा-72 के अंतर्गत)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी मेसर्स एगो पाईप, 34-ए, सेक्टर-सी, सांवेर रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, इंदौर (म.प्र.) भागीदारी (फर्म पंजीयन क्रमांक 2825 सन् 1976-77) में दिनांक 01-07-2016 से श्री प्रफुल्ल हरिया पिता स्व. श्री लक्ष्मीचंद जी हरिया एवं श्री भरत हरिया पिता स्व. श्री लक्ष्मीचंद जी हरिया भागीदारी फर्म से सेवा निवृत्त हो चुके एवं श्रीमति मितल हरिया पति श्री अमित हरिया उक्त फर्म में भागीदार के रूप में शामिल हुई हैं. जिसका उल्लेख भागीदारी विलेख 01-07-2016 में दर्ज किया गया है, तथा दिनांक 17-08-2018 से उक्त फर्म में कुमारी कोमल सोलंकी पिता श्री अमर सिंह सोलंकी एवं श्री दीपक टांक पिता श्री नंदलाल जी टांक नये भागीदार के रूप में शामिल हुये हैं, जिसका विधित भागीदारी विलेख दिनांक 17-08-2018 को निष्पादित किया गया है सो विदित होंगे.

मेसर्स एगो पाईप,

दिनेश हरिया,

(भागीदार)

34-ए, सेक्टर-सी, सांवेर रोड,  
इण्डस्ट्रीयल एरिया, इंदौर (म.प्र.).

(804-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स शिवा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00021/11, पता- म. नं. ई-4/6, अरेरा कॉलोनी, भोपाल के भागीदारी विलेख आपसी सहमती से परिवर्तन किया जा रहा है जिसका विवरण

निम्नानुसार है- श्री संजीव अग्रवाल पुत्र श्री एस. के. अग्रवाल, निवासी म.नं. ई-2/134, अरेरा कॉलोनी भोपाल को दिनांक 21-11-2012 से फर्म से आपसी सहमति से निर्वत किया जाता है एवं श्री राहुल मल्होत्रा पुत्र श्री आदर्श मल्होत्रा, निवासी पता ई-4/6, अरेरा कॉलोनी भोपाल दिनांक 21-11-2012 एवं रोहित मल्होत्रा पुत्र श्री विवेक मल्होत्रा पता ई-4/6, अरेरा कॉलोनी भोपाल दिनांक 21-11-2012 आपसी सहमति से नये भागीदार बनाये जा रहे हैं. अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त फर्म में परिवर्तित नये एवं निर्वत भागीदार फर्म से संबंधित कोई लेनदेन बाद-विवाद अथवा अन्य किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी व्यक्ति शासकीय या अशासकीय संस्था, बैंक या अन्य किसी संस्था जिसमें हित प्रभावित होता हो वह सूचना प्रकाशन से 7 दिन के भीतर मय दस्तावेज सहित कार्यालय में कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत करें अथवा उक्त समय अवधि पश्चात किसी प्रकार की आपत्ति मेरे प्रकार फर्म पर बंधनकारी नहीं है अथवा शून्य मानी जायेगी.

**शिवल सिंह चौहान,**  
(अधिवक्ता)

(805-बी.)

पता- 194, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल.

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स शिवा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00029/11, पता- म.नं. ई-4/6, अरेरा कॉलोनी, भोपाल के भागीदारी विलेख आपसी सहमति से परिवर्तन किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नानुसार है- श्री विवेक मल्होत्रा पुत्र श्री एस. के. मल्होत्रा, निवासी म.नं. ई-4/6, अरेरा कॉलोनी भोपाल को दिनांक 10-04-2017 से फर्म से आपसी सहमति से निर्वत किया जाता है अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त फर्म में परिवर्तित निर्वत भागीदार फर्म से संबंधित कोई लेनदेन बाद-विवाद अथवा अन्य किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी व्यक्ति शासकीय या अशासकीय संस्था, बैंक या अन्य किसी संस्था जिसमें हित प्रभावित होता हो वह सूचना प्रकाशन से 7 दिन के भीतर मय दस्तावेज सहित कार्यालय में कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत करें अथवा उक्त समय अवधि पश्चात किसी प्रकार की आपत्ति मेरे प्रकार फर्म पर बंधनकारी नहीं है अथवा शून्य मानी जायेगी.

**शिवल सिंह चौहान,**  
(अधिवक्ता)

(806-बी.)

पता- 194, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल.

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स न्यू बॉम्बे कंस्ट्रक्शन जिसका पंजीयन क्रमांक 148, दिनांक 17-03-1998 है जिसका पंजीकृत पता सी-99, सोनागिरी, भोपाल, म.प्र. है जिसमें दिनांक 01-11-2001 को भागीदार श्री जगदीश सैनी पुत्र श्री एन.एल. सैनी एवं श्री मांगीलाल सैनी पुत्र श्री जी.पी. सैनी के द्वारा अपने स्वयं के अन्य कार्यों के कारण स्वयं की इच्छा से फर्म से पृथक् हो गये एवं श्रीमती सीमा सैनी को नए भागीदार के रूप में शामिल किया गया. एवं दिनांक 01-04-2013 को भागीदार श्री जी.पी. सैनी पुत्र स्व. श्री एम.एल. सैनी स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण स्वयं की इच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 30-10-2018 को श्री अनिल कुमार सैनी पुत्र श्री जी. पी. सैनी का स्वर्गवास हो जाने के कारण फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 30-10-2018 को श्री अमनजीत सैनी पुत्र श्री अनिल सैनी एव कु. हनी सैनी पुत्री श्री अनिल सैनी निवासीगण 112, दीपक सोसायटी, कोलार रोड, भोपाल, म.प्र. फर्म में नवीन भागीदारों के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मैसर्स न्यू बॉम्बे कंस्ट्रक्शन,  
**सीमा सैनी,**  
(भागीदार)

(811-बी.)

सी-99, सोनागिरी, भोपाल (म.प्र.).

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स नीलकमल पंजीयन क्र. 01/04/04/00234/11, दि. 06/09/2011 है जिसका पंजीकृत पता एन-12, जयपुर जबलपुर रोड, आकाश मूदड़ा, पोस्ट कुरावर, तह. नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, म. प्र. है जिसमें दिनांक 26-12-2018 को भागीदारी का विघटन हो गया है एवं श्री प्रमोद कुमार तापडिया से फर्म के खाते से संबंधित समस्त लेनदारी व देनदारी का सेटलमेंट हो चुका है व भागीदारी फर्म द्वारा संचालित व्यवसाय रिटेल आउटलेट ऑफ हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. को श्री आकाश मुंदड़ा के द्वारा प्रोपराईटरशिप में आगे निरंतर संचालित किया जावेगा. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मैसर्स नीलकमल ,  
**आकाश मुंदड़ा,**  
(भागीदार)

(812-बी.)

कुरावर, जिला राजगढ़ (म.प्र.).

## विविध

### आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

#### कार्यालय कलेक्टर, इन्दौर, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 01 जनवरी, 2019

क्र./01/व.लि./2018.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम 3-2/09/1/4, दिनांक 30 मार्च, 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर, जिला- इंदौर वर्ष 2019 के लिए इंदौर जिले की सीमा क्षेत्र हेतु उनके सम्मुख दर्शाई गई तिथियों के लिये स्थानीय अवकाश की घोषणा करता हूँ:-

| क्र. | जिला  | त्योहार                    | दिनांक           | दिन      | विवरण         |
|------|-------|----------------------------|------------------|----------|---------------|
| 1.   | इंदौर | रंगपंचमी                   | 25 मार्च, 2019   | सोमवार   | सम्पूर्ण जिला |
| 2.   | इंदौर | अहिल्या उत्सव - अर्धदिवस   | 29 अगस्त, 2019   | गुरुवार  | सम्पूर्ण जिला |
| 3.   | इंदौर | अनंत चतुर्दशी का दूसरा दिन | 13 सितम्बर, 2019 | शुक्रवार | सम्पूर्ण जिला |
| 4.   | इंदौर | दीपावली का दूसरा दिन       | 28 अक्टूबर, 2019 | सोमवार   | सम्पूर्ण जिला |

उक्त अवकाश बैंक, कोषालय पर लागू नहीं होगा.

नोट:- दिनांक 29-08-2019 को अहिल्या उत्सव होने से कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा.

लोकेश कुमार जाटव,  
कलेक्टर.

(31)

## न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय एवं न्यास पंजीयन अधिकारी मल्हारगढ़, जिला मंडसौर

प्र.क्र. 0001/बी-113/18-19.

### प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और  
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक, लोक न्यास मल्हारगढ़, जिला मंडसौर के समक्ष अशोक कुमार पुत्र मिश्रीलाल कुमठ, निवासी पिपलियामंडी, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंडसौर मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम-1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 21 जनवरी, 2019 को समय प्रातः 11: 00 बजे विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना को लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, मल्हारगढ़, जिला मंडसौर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 21 जनवरी, 2019 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

श्री बही पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर तीर्थ पेढ़ी ग्राम बही पार्श्वनाथ तहसील मल्हारगढ़ भूमि 73.94 वर्गमीटर (एक लाख एक हजार रुपये), 406.49 वर्ग मी. (पांच लाख चार हजार रुपये). 186.48 वर्गमी. (एक लाख ग्यारह हजार रुपये), 22.32 वर्गमी. (अट्ठाईस हजार रु.).

23.24 वर्गमी. (सरसठ हजार रु.). 59.50 वर्गमी. (बहत्तर हजार रु.). 141.30 वर्गमी. (एक लाख छः हजार रु.) ट्रस्ट कार्यालय भोजनशाला धार्मशाला, व दो मंजिला 110 X 70 फीट साधु/साध्वी हेतु भवन दो मंजिल 15 X 25 फीट मंदिर जी का मकान पिपलियामंडी में भाटियों का नोहरा लम्बाई 106 फुट 6 ईंच.

(32)

अंकिता प्रजापति,  
अनुविभागीय अधिकारी.

### न्यायालय पंजीयक , सार्वजनिक लोक न्यास, बुरहानपुर

प्रकरण क्रमांक बी/113/2018-19.

#### ( नियम पाँच-1 देखिए )

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत]

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि आवेदक संकट मोचन हनुमान मंदिर ट्रस्ट वार्ड क्रमांक 44, मिल एरिया लालबाग, तहसील व जिला बुरहानपुर द्वारा अध्यक्ष श्री प्रविण पिता प्रभाकर कापसे, निवासी कोरनेशन बाजार मिल एरिया लालबाग, तहसील एवं जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये “ लोक न्यास ” के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद् द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पत्र दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखत कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा.

#### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता संपत्ति का विवरण)

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| वर्किंग ट्रस्टी एवं सचिव | : | अध्यक्ष श्री प्रविण पिता प्रभाकर कापसे.                    |
| निवासी                   | : | कोरनेशन बाजार मिल एरिया लालबाग, जिला बुरहानपुर.            |
| चल संपत्ति               | : | 500/-  |
| अचल संपत्ति              | : | लालबाग ब्लाक न. 69, प्लॉट न. 2/21, क्षेत्रफल 1035 वर्गफिट. |

(02)

प्रगति वर्मा,  
पंजीयक.

### न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, संयोगितागंज क्षेत्र, इन्दौर

#### ( फार्म-चार )

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक न्यासी श्री किरण कुमार पिता स्व. श्री प्रेमकुमार डुंगरवाल पता-104, प्रिंसेसवेली साउथ तुकोगंज, इन्दौर द्वारा “ श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट ” रॉयल कॉलोनी कार्यालय पता-35, तिलक नगर, इंदौर का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त दावों/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

**परिशिष्ट**

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| ट्रस्ट का नाम | : | “श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट” रॉयल कॉलोनी. |
| पता           | : | 35, तिलक नगर इन्दौर.  |
| चल संपत्ति    | : | न्यास की चल सम्पत्ति निरंक है.                                      |
| अचल संपत्ति   | : | निरंक है.   |

आज दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(03)

**राकेश शर्मा,**  
पंजीयक.**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्टर्ड, पब्लिक ट्रस्ट, राज. परि. टी. टी. नगर, भोपाल**

प्र.क्र. 212/बी-121/2017-18.

**प्रारूप-4**

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश न्यास नियम-1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि (श्री विश्वनाथ मंदिर सार्वजनिक ट्रस्ट) द्वारा श्री शिवकुमार गौंड (अध्यक्ष) आ. श्री एम. एल. गौंड, निवासी-म. नं. बी-113, शिवाजी नगर, तहसील हुजूर, जिला-भोपाल मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर ट्रस्ट में संशोधन किये जाने की सूचना हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक 09 जनवरी, 2019 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वह इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा.

**अनुसूची**

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

|                  |   |                                       |
|------------------|---|---------------------------------------|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | श्री विश्वनाथ मंदिर सार्वजनिक ट्रस्ट. |
| 2. अचल सम्पत्ति  | : | निल.                                  |
| 3. चल सम्पत्ति   | : | निल.                                  |

आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(04)

**संजय कुमार श्रीवास्तव,**  
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.**अन्य सूचनाएं****कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला होशंगाबाद**

होशंगाबाद, दिनांक 13 दिसम्बर, 2018

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत]

प्रति,

प्रशासक/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चौतलाय,

जिला होशंगाबाद.

क्र./परि./2018/4981.—एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चौतलाय

में आदेश क्रमांक/4386, दिनांक 17 मई, 2018 के द्वारा श्री सुधीर मोने, उप अंकेक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया है। प्रशासक के पत्र क्रमांक 3787, दिनांक 07 अगस्त, 2018 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चौतलाय का चार्ज प्राप्त नहीं होने एवं संस्था अकार्यशील होकर बंद होने से प्रशासक द्वारा समिति को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गयी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि:-

1. संस्था अकार्यशील है तथा प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं दिये जाने के कारण निर्वाचन कार्य करवाना संभव नहीं है।
2. संस्था ने अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारंभ नहीं किया है तथा अकार्यशील है।
3. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ली गई है।
4. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
5. संस्था के अध्यक्ष द्वारा अपने पत्र में संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गयी।

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है। अतः क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा-69 के तहत परिसमापन में लाया जावे।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ.-05-01-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के संचालक मण्डल/आमसभा में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा कि संस्था प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है। संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(05)

होशंगाबाद, दिनांक 13 दिसम्बर, 2018

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत]

प्रति,

प्रशासक/प्रबंधक,

महालक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जमाडा,  
तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद.

क्र./परि./2018/4982.—एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि महालक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जमाडा में आदेश क्रमांक/1001, दिनांक 22 अप्रैल, 2017 के द्वारा श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया है। प्रशासक के पत्र क्रमांक 2551, दिनांक 22 मई, 2018 के द्वारा महालक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जमाडा का चार्ज प्राप्त नहीं होने एवं संस्था अकार्यशील होकर बंद होने से प्रशासक द्वारा समिति को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गयी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि:-

1. संस्था अकार्यशील है तथा प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं दिये जाने के कारण निर्वाचन कार्य करवाना संभव नहीं है।
2. संस्था ने अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारंभ नहीं किया है तथा अकार्यशील है।
3. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ली गई है।
4. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
5. संस्था के अध्यक्ष द्वारा अपने पत्र में संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गयी।

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है। अतः क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा-69 के तहत परिसमापन में लाया जावे।



अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ.-05-01-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के संचालक मण्डल/आमसभा में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा कि संस्था प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है. संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(06)

होशंगाबाद, दिनांक 13 दिसम्बर, 2018

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत]

प्रति,

प्रशासक/प्रबंधक,

माँ शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हथवास,  
तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद.

क्र./परि./2018/4983.—एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि माँ शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हथवास, में आदेश क्रमांक....., दिनांक..... के द्वारा श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के पत्र क्रमांक 3253, दिनांक 05 जुलाई, 2018 के द्वारा माँ शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हथवास का चार्ज प्राप्त नहीं होने एवं संस्था अकार्यशील होकर बंद होने से प्रशासक द्वारा समिति को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गयी है. इससे यह स्पष्ट होता है कि:-

1. संस्था अकार्यशील है तथा प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं दिये जाने के कारण निर्वाचन कार्य करवाना संभव नहीं है.
2. संस्था ने अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारंभ नहीं किया है तथा अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ली गई है.
4. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के अध्यक्ष द्वारा अपने पत्र में संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गयी.

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. अतः क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा-69 के तहत परिसमापन में लाया जावे.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ.-05-01-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के संचालक मण्डल/आमसभा में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा कि संस्था प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है. संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(07)

होशंगाबाद, दिनांक 13 दिसम्बर, 2018

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत]

प्रति,

प्रशासक/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नांदना परसवाडा,  
तहसील बनखेडी, जिला होशंगाबाद.

क्र./परि./2018/4984.—एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नांदना परसवाडा

में आदेश क्रमांक/464, दिनांक 22 फरवरी, 2018 के द्वारा श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया है। प्रशासक के पत्र क्रमांक 3233, दिनांक 02 जुलाई, 2018 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नांदना परसवाडा का चार्ज प्राप्त नहीं होने एवं संस्था अकार्यशील होकर बंद होने से प्रशासक द्वारा समिति को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गयी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि:-

1. संस्था अकार्यशील है तथा प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं दिये जाने के कारण निर्वाचन कार्य करवाना संभव नहीं है।
2. संस्था ने अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारंभ नहीं किया है तथा अकार्यशील है।
3. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ली गई है।
4. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
5. संस्था के अध्यक्ष द्वारा अपने पत्र में संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गयी।

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है। अतः क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा-69 के तहत परिसमापन में लाया जावे।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ.-05-01-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के संचालक मण्डल/आमसभा में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा कि संस्था प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है। संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(08)

होशंगाबाद, दिनांक 13 दिसम्बर, 2018

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत]

प्रति,

प्रशासक/प्रबंधक,

रानी दुर्गावती प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार पिपरिया,

तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद.

क्र./परि./2018/4986.—एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि रानी दुर्गावती प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार पिपरिया मुहारी में आदेश क्रमांक/4386, दिनांक 17 मई, 2018 के द्वारा श्री बी. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पत्र क्रमांक 3259, दिनांक 05 जुलाई, 2018 के द्वारा रानी दुर्गावती प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार पिपरिया का चार्ज प्राप्त नहीं होने एवं संस्था अकार्यशील होकर बंद होने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा समिति को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गयी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि:-

1. संस्था अकार्यशील है तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के अपने आवेदन में संस्था का निर्वाचन कार्य करवाना संभव नहीं है।
2. संस्था ने अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारंभ नहीं किया है तथा अकार्यशील है।
3. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ली गई है।
4. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
5. संस्था के अध्यक्ष द्वारा अपने पत्र में संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गयी।

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है। अतः क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा-69 के तहत परिसमापन में लाया जावे।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ.-05-01-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के संचालक मण्डल/आमसभा में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा कि संस्था प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है. संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(09)

होशंगाबाद, दिनांक 13 दिसम्बर, 2018

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत]

प्रति,

प्रशासक/प्रबंधक,  
रेवांचल जैविक खाद उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जासलपुर,  
तहसील होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद.

क्र./परि./2018/4987.—एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि रेवांचल जैविक खाद उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जासलपुर में आदेश क्रमांक/5231, दिनांक 8 जून, 2018 के द्वारा श्री बी.के.शर्मा, सहकारी निरीक्षक को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पत्र क्रमांक 3564, दिनांक 24 जुलाई, 2018 के द्वारा रेवांचल जैविक खाद उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जासलपुर का चार्ज प्राप्त नहीं होने एवं संस्था अकार्यशील होकर बंद होने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा समिति को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गयी है. इससे यह स्पष्ट होता है कि:-

1. संस्था अकार्यशील है तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने आवेदन में संस्था का निर्वाचन कार्य करवाना संभव नहीं है.
2. संस्था ने अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारंभ नहीं किया है तथा अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ली गई है.
4. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के अध्यक्ष द्वारा अपने पत्र में संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गयी.

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. अतः क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा-69 के तहत परिसमापन में लाया जावे.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ.-05-01-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के संचालक मण्डल/आमसभा में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा कि संस्था प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है. संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अखिलेश कुमार निगम,  
डिप्टी रजिस्ट्रार.

(10)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 18 दिसम्बर, 2018

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक/सदस्य,  
आदर्श गुरूनानक गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.  
पता-एम-6, शंभु कॉम्प्लेक्स, 2/2, साऊथ तुकोगंज, इन्दौर

क्र./परि./2018/4016.—आदर्श गुरूनानक गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जो सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-9 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक डी.आर/आय.डी.आर/284/ दिनांक 12 जनवरी, 1981 है. निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर संस्था को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाता है:-

1. संस्था की वार्षिक साधारण सभा दिनांक 23 सितम्बर, 2018 में पारित प्रस्ताव के अनुसार संस्था के समस्त सदस्यों को उनके पक्ष में फ्लेटों की रजिस्ट्रियां करवा कर सदस्यों को मौके पर कब्जा भी दे दिया गया है. संस्था द्वारा अपने सदस्यों के हित में दिनांक 31 मार्च, 2018 तक कुल 1085 रजिस्ट्रियां एवं दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 तक 31 रजिस्ट्रियां सदस्यों के पक्ष में करवा दी गई है, तथा सभी सदस्यों को उनके फ्लेटों का कब्जा भी दे दिया है.
2. उक्त समयावधि वर्ष 2017-18 में 49 सदस्यों ने अपनी स्वेच्छा से अपनी सदस्यता समाप्त करवा ली है. वर्तमान में संस्था में कुल 11 सदस्य शेष हैं, जबकि संस्था संचालन के लिये कम से कम 20 सदस्य होना अनिवार्य हैं. जो संस्था में वर्तमान में नहीं है.
3. संस्था द्वारा अपने समस्त सदस्यों की रजिस्ट्री एवं कब्जा देने के बाद समस्त सदस्यों की आवास समस्या का हल हो गया होकर, अब संस्था के पास कोई भूमि उपलब्ध नहीं है. और आगे भविष्य में भी संस्था किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करना नहीं चाहती है.
4. संस्था की वार्षिक साधारण सभा दिनांक 23 सितम्बर, 2018, में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वानुमति से निर्णय पारित हुआ है, यह कि वित्तीय वर्ष 2017-18 का अंकेक्षण विभाग द्वारा किया जाकर, ऑडिट नोट भी पारित किया जाकर, संस्था को प्राप्त होने पर अंकेक्षण शुल्क भी दिनांक 27 अगस्त, 2018 को जमा करवा दिया है तथा अंकेक्षण महोदय द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपों का तामिली प्रतिवेदन भी दिनांक 04 सितम्बर, 2018 को विभाग में प्रस्तुत कर दिया है, जिसका परीक्षण भी दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को किया जा चुका है.
5. संस्था की समस्त लेनदारियां एवं देनदारियां भी निराकृत हो गयी हैं अब संस्था में ग्यारह सदस्य मात्र हैं, जिनकी अंशपूँजी की राशि ही वापिस करना है और इतनी ही राशि संस्था के पास (बैंक खाते सहित) उपलब्ध है.

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है, कि संस्था का कामकाज समाप्त होकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर ली गई एवं देनदारियां एवं लेनदारियां भी निरंक हो गई हैं, एवं संस्था की साधारण सभा एवं संचालक मण्डल भी संस्था को संचालित करने में कोई रुचि नहीं रख रहा है. अतः इस स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक हो गया है.

अतः उक्त अनुसार संस्था के अकार्यशील होने की सूचना संबंधित संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन से कार्यालय को प्राप्त हुई है. अतः जिसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है, कि संस्था पूर्णतः बंद होकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में अब सफल नहीं है.

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-10-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा यथा संशोधित से मुझे प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश के अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर यह आदेश देता हूँ कि उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के संबंध में अपना जवाब मय प्रमाणित दस्तावेजों के 7 दिवस में कार्यालय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करे. नियत समय में जवाब प्रस्तुत नहीं करने/ संतोषजनक जवाब नहीं होने की स्थिति में यह माना जाकर कि, कारण बताओ सूचना-पत्र में वर्णित बिन्दु आपको स्वीकार हैं एवं उसके संबंध में कुछ नहीं कहना है मानते हुए संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के प्रावधान के अंतर्गत परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

**मनोज कुमार गुप्ता,**  
उप-पंजीयक.

(11)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जनवरी, 2019-पौष 21 शके 1940

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 8 अगस्त, 2018

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में प्रायः आकाश मेघाच्छादित रहा तथा राज्य के निम्न जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.—

(अ) 0.1 मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक:— तहसील जौरा, कैलारस (मुरैना), कराहल (शयोपुर), भिण्ड (भिण्ड), ग्वालियर, भितरवार, चीनोर, घाटीगाँव (ग्वालियर), सेंवड़ा (दतिया), शिवपुरी, खनियाधाना, नरवर, पोहरी, बदरवास (शिवपुरी), मुँगावली, ईसागढ़ (अशोकनगर), गुना, राघोगढ़, चांचोड़ा, कुम्भराज (गुना), जतारा (टीकमगढ़), छतरपुर, विजावर (छतरपुर), बीना, बण्डा, सागर, रेहली, देवरी, गढ़ाकोटा, राहतगढ़, केसली, मालथोन, शाहगढ़ (सागर), बटियागढ़ (दमोह), मैहर, बिरसिंहपुर (सतना), गरौठ, मन्दसौर + दालोद, सीतामऊ (मन्दसौर), जावरा, सैलाना, ताल (रतलाम) महिदपुर (उज्जैन), जोबट, अलीराजपुर, चं.शे. आजादनगर (अलीराजपुर), इन्दौर (इन्दौर), महेश्वर, सेगांव, खरगौन, गोगांवा, कसरावद, भीकनगांव, झिरन्या (खरगौन), ठीकरी, राजकोट, सेंधवा, पानसेमल, बरला, निवाली (बड़वानी), खालवा (खण्डवा), नैपानगर (बुरहानपुर), राजगढ़, जीरापुर, खिलचीपुर, ब्यावरा (राजगढ़), लटेरी (विदिशा), बैरागढ़ (भोपाल), रेहटी (सीहोर), सिलवानी, बाड़ी (रायसेन), बैतूल, मुलताई (बैतूल), सिवनी मालवा, बाबई, सुहागपुर (होशंगाबाद), छिन्दवाड़ा, तामिया, जुन्नारदेव, सोंसर, बिछिया, अमरवाड़ा, उमरैठ, मोहखेड़, चांद (छिन्दवाड़ा), कटंगी, लालवर्मा, तिरोड़ी (बालाघाट) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(ब) 17.5 मि.मी. से 34.9 मि.मी. तक:— तहसील पोरसा (मुरैना), बैराढ़ (शिवपुरी), पृथ्वीपुर (टीकमगढ़), नौगांव + बकस्वाहा (छतरपुर), अजयगढ़ + देवेन्द्र नगर, पबई + सिमरिया, शाहनगर + रैपुरा (पन्ना), दमोह, पथरिया (दमोह), नागौद (सतना), रतलाम (रतलाम), कट्टीवाड़ा (अलीराजपुर), बैरसिया (भोपाल), वनखेड़ी, पचमड़ी (होशंगाबाद), पाटन, मझौली (जबलपुर), घुघरी (मण्डला), हरई (छिन्दवाड़ा), सिवनी, केवलारी, लखनादौन (सिवनी), बालाघाट, बारासिवनी, परसवाड़ा, विरसा, खैरलौजी (बालाघाट) में उक्त मि.मी. तक वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(स) 35.0 मि.मी. से 53.1 मि.मी. तक:— तहसील शयोपुर (शयोपुर), रोममिहोना (भिण्ड), करैरा (शिवपुरी), ओरछा, लवकुशनगर (टीकमगढ़), राजनगर (छतरपुर), जबेरा (दमोह), मझगवां, उचेहरा (सतना), बांधवगढ़, पाली (उमरिया), पिपलोदा (रतलाम), सिहोरा, शाहपुरा (जबलपुर), नैनपुर, विछिया (मण्डला), छपारा (सिवनी) में उक्त मि.मी. के अंतर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(द) 53.2 मि.मी. से 244.9 मि.मी. तक:- तहसील मुरैना, अम्बाह (मुरैना), विजयपुर (शयोपुर), डबरा (ग्वालियर), पलेरा (टीकमगढ़), गौरीहार (छतरपुर), हटा, तेंदूखेड़ा, पटेरा (दमोह), रघुराजनगर, रीवा, रामपुरबघेलान, अमरपाटन, रामनगर (सतना), त्योंथर, सिरमौर, मऊगंज, हनुमना, हजूर, गुढ़, मनगवां, रायपुरकुर्च, ब्योहारी, जैसिंहनगर, बुड़ार, सुहागपुर, गोहपारू, जैतपुर (शहडोल), जैतहरी, अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), गोपदबनास, सिंहावल, मझौली, कुसमी, चुरहट, बहरी, रामपुर (सीधी), चितरंगी, देवसर, सिंगरौली (सिंगरौली), जबलपुर, कुण्डम, पनागर (जबलपुर), बहोरीबंद, धीमरखेड़ा, रीठी, बड़वारा, मुडवारा, विजयराघवगढ़, बरही (कटनी), मण्डला, निवास, नारायणगंज (मण्डला), डिण्डोरी, शाहपुरा (डिण्डोरी), घन्सौर (सिवनी), किरनापुर (बालाघाट) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

2. रोपाईं :- जिला शयोपुर, दतिया, पन्ना, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, विदिशा, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, मण्डला, डिण्डोरी, छिन्दवाड़ा, सिवनी में रोपाईं कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

3. जुताई :- जिला मुरैना, शयोपुर, दतिया, शिवपुरी, पन्ना, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, अलीराजपुर, खरगौन, बड़वानी, जबलपुर, कटनी, मण्डला, डिण्डोरी, सिवनी में जुताई कार्य चालू न रहना प्रतिवेदित किया गया है।

4. बोनी:- जिला मुरैना (बाजरा), शयोपुर, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरी, देवास, अलीराजपुर, खरगौन, बड़वानी, राजगढ़, रायसेन, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, मण्डला, डिण्डोरी, सिवनी में बोनी कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

5. फसल स्थिति:- . .

6. कटाई:- जिला जबलपुर में उड़द मूँग की कटाई चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

7. सिंचाई:- जिला टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, मन्सौर, नीमच, बड़वानी, बुरहानपुर, भोपाल में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।

8. पशुओं की स्थिति:- . .

9. चारा:- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

10. बीज:- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

11. खेतिहर श्रमिक:- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त मात्रा तथा उचित रेट पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 8 अगस्त, 2018

| जिला/तहसीलें              | 1. सप्ताह में हुई वर्षा :-<br>(अ) वर्षा का माप (मि.मी. में)<br>(ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक. | 2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :-<br>(अ) प्रारम्भिक जुताई पर.<br>(ब) बोनी पर<br>(स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो.<br>(द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित.<br>(य) कटी हुई फसल पर. | 3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव.<br>4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:-<br>(1) फसल का क्षेत्रफल-<br>(अ) अधिक, समान या कम.<br>(ब) प्रतिशत.<br>(2) फसल की हालत-<br>(अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई<br>(ब) प्रतिशत. | 5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक)<br>6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति. | 7. बीज की प्राप्ति.<br>8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति. |
|---------------------------|--|---|---|---|--|
| (1)                       | (2)  | (3)   | (4)   | (5)   | (6)  |
| <b>1. जिला मुरैना :</b>   | मिलीमीटर   | 2. जुताई एवं बाजरा की बोनी चालू.  | 3. . .<br>4. (1) . .<br>(2) . .   | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.                                    | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त.                                 |
| 1. अम्बाह                 | 70.0   |   |   |   |  |
| 2. पोरसा                  | 30.0   |   |   |   |  |
| 3. मुरैना                 | 70.0   |   |   |   |  |
| 4. जौरा                   | 3.0  |   |   |   |  |
| 5. कैलारस                 | 5.0  |   |   |   |  |
| 6. सबलगढ़                 | . .  |   |   |   |  |
| <b>2. जिला श्योपुर :</b>  | मिलीमीटर   | 2. जुताई एवं बोनी व धान रोपाई चालू.   | 3. . .<br>4. (1) गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, सोयाबीन, उड़द, मूँग, कपास समान.<br>(2) उपरोक्त सुधरी.   | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.                                    | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त.                                 |
| 1. श्योपुर                | 50.0   |   |   |   |  |
| 2. कराहल                  | 6.2  |   |   |   |  |
| 3. विजयपुर                | 80.0   |   |   |   |  |
| 4. वीरपुर                 | . .  |   |   |   |  |
| 5. बडोदा                  | . .  |   |   |   |  |
| <b>3. जिला भिण्ड :</b>    | मिलीमीटर   | 2. बोनी चालू.   | 3. . .<br>4. (1) . .<br>(2) . .   | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.                                    | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त.                                 |
| 1. अटेर                   | . .  |   |   |   |  |
| 2. भिण्ड                  | 4.0  |   |   |   |  |
| 3. गोहद                   | . .  |   |   |   |  |
| 4. मेंहगांव               | . .  |   |   |   |  |
| 5. लहार                   | . .  |   |   |   |  |
| 6. रौनमिहोना              | 41.0   |   |   |   |  |
| <b>4. जिला ग्वालियर :</b> | मिलीमीटर   | 2. जुताई एवं बोनी चालू.   | 3. . .<br>4. (1) . .<br>(2) . .   | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.                                    | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त.                                 |
| 1. ग्वालियर               | 12.9   |   |   |   |  |
| 2. डबरा                   | 82.0   |   |   |   |  |
| 3. भितरवार                | 2.0  |   |   |   |  |
| 4. चीनोर                  | . .  |   |   |   |  |
| 5. घाटीगांव               | 3.0  |   |   |   |  |
| <b>5. जिला दतिया :</b>    | मिलीमीटर   | 2. जुताई एवं बोनी व धान रोपाई चालू.   | 3. . .<br>4. (1) . .<br>(2) . .   | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.                                    | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त.                                 |
| 1. सेवड़ा                 | 2.0  |   |   |   |  |
| 2. दतिया                  | . .  |   |   |   |  |
| 3. इन्द्रगढ़              | . .  |   |   |   |  |
| 4. बढौनी                  | . .  |   |   |   |  |
| 5. भाण्डेर                | . .  |   |   |   |  |

| (1)                      | (2)      | (3)                                 | (4)   | (5)   | (6)                          |
|--------------------------|----------|-------------------------------------|---|---|------------------------------|
| <b>6. जिला शिवपुरी :</b> | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी व धान रोपाई चालू. | 3. . .<br>4. (1) गन्ना अधिक. उड़द, मूँग, तिल कम. मूँगफली समान.<br>(2) उपरोक्त फसलें समान.                 | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.  | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त. |
| 1. शिवपुरी               | 2.0      |                                     |   |   |                              |
| 2. पिछोर                 | . .      |                                     |   |   |                              |
| 3. खनियाधाना             | 10.0     |                                     |   |   |                              |
| 4. नरवर                  | 17.0     |                                     |   |   |                              |
| 5. करैरा                 | 45.0     |                                     |   |   |                              |
| 6. कोलारस                | . .      |                                     |   |   |                              |
| 7. पोहरी                 | 10.0     |                                     |   |   |                              |
| 8. बैराढ़                | 26.0     |                                     |   |   |                              |
| 9. बदरवास                | 2.0      |                                     |   |   |                              |
| <b>7. जिला अशोकनगर :</b> | मिलीमीटर | 2. . .                              | 3. . .<br>4. (1) उड़द मक्का अधिक. सोयाबीन कम.<br>(2) उपरोक्त फसलें समान.                                  | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.  | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त. |
| 1. मुँगावली              | 9.0      |                                     |   |   |                              |
| 2. ईसागढ़                | 4.0      |                                     |   |   |                              |
| 3. अशोकनगर               | . .      |                                     |   |   |                              |
| 4. चन्देरी               | . .      |                                     |   |   |                              |
| 5. नई सराय               | . .      |                                     |   |   |                              |
| 6. पिपरई                 | . .      |                                     |   |   |                              |
| 7. शाढौरा                | . .      |                                     |   |   |                              |
| <b>8. जिला गुना :</b>    | मिलीमीटर | 2. . .                              | 3. . .<br>4. (1) उड़द, मूँग, सोयाबीन, मक्का समान.<br>(2) उपरोक्त फसलें समान.                              | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.  | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त. |
| 1. गुना                  | 10.7     |                                     |   |   |                              |
| 2. राघोगढ़               | 9.0      |                                     |   |   |                              |
| 3. बमोरी                 | . .      |                                     |   |   |                              |
| 4. आरोन                  | . .      |                                     |   |   |                              |
| 5. चाचौड़ा               | 6.0      |                                     |   |   |                              |
| 6. मकसूदनगढ़             | . .      |                                     |   |   |                              |
| 7. कुम्भराज              | 8.0      |                                     |   |   |                              |
| <b>9. जिला टीकमगढ़ :</b> | मिलीमीटर | 2. . .                              | 3. . .<br>4. (1) उड़द, मूँग, तिल अधिक. धान, सोयाबीन, मूँगफली, ज्वार, गन्ना कम.<br>(2) उपरोक्त फसलें समान. | 5. अपर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त. |
| 1. निवाड़ी               | . .      |                                     |   |   |                              |
| 2. पृथ्वीपुर             | 20.0     |                                     |   |   |                              |
| 3. जतारा                 | 8.0      |                                     |   |   |                              |
| 4. टीकमगढ़               | . .      |                                     |   |   |                              |
| 5. बल्देवगढ़             | . .      |                                     |   |   |                              |
| 6. पलेरा                 | 75.0     |                                     |   |   |                              |
| 7. खरगापुर               | . .      |                                     |   |   |                              |
| 8. मोहनगढ़               | . .      |                                     |   |   |                              |
| 9. लिधौरा                | . .      |                                     |   |   |                              |
| 10. ओरछा                 | 43.0     |                                     |   |   |                              |
| <b>10. जिला छतरपुर :</b> | मिलीमीटर | 2. जुताई बोनी चालू.                 | 3. . .<br>4. (1) . .<br>(2) . .   | 5. अपर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त. |
| 1. गौरीहार               | 66.0     |                                     |   |   |                              |
| 2. नौगांव                | 21.3     |                                     |   |   |                              |
| 3. छतरपुर                | 2.0      |                                     |   |   |                              |
| 4. राजनगर                | 48.6     |                                     |   |   |                              |
| 5. बिजावर                | 13.0     |                                     |   |   |                              |
| 6. बड़ामल्हरा            | . .      |                                     |   |   |                              |
| 7. लवकुश नगर             | 35.0     |                                     |   |   |                              |
| 8. बक्सवाहा              | 21.0     |                                     |   |   |                              |



| (1)                      | (2)      | (3)                                 | (4)   | (5)   | (6)                          |
|--------------------------|----------|-------------------------------------|---|---|------------------------------|
| <b>11. जिला पन्ना :</b>  | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी व धान रोपाई चालू. | 3. . .<br>4. (1) . .<br>(2) . .   | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.  | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त. |
| 1. अजयगढ़                | 29.6     |                                     |   |   |                              |
| 2. पन्ना-देवेन्द्रनगर    | 31.7     |                                     |   |   |                              |
| 3. अमानगंज-गुन्नौर       | 28.0     |                                     |   |   |                              |
| 4. पवई-सिमरिया           | 30.6     |                                     |   |   |                              |
| 5. शाहनगर-रैपुरा         | 33.5     |                                     |   |   |                              |
| <b>12. जिला सागर :</b>   | मिलीमीटर | 2. जुताई चालू.                      | 3. . .<br>4. (1) धान, उड़द, सोयाबीन अधिक. ज्वार, मक्का, तुअर, तिल, मूँगफली, आलू-प्याज कम.<br><br>(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं. | 5. अपर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त. |
| 1. बीना                  | 7.0      |                                     |   |   |                              |
| 2. खुरई                  | . .      |                                     |   |   |                              |
| 3. बण्डा                 | 4.0      |                                     |   |   |                              |
| 4. सागर                  | 11.6     |                                     |   |   |                              |
| 5. रेहली                 | 6.0      |                                     |   |   |                              |
| 6. देवरी                 | 15.0     |                                     |   |   |                              |
| 7. गढ़ाकोटा              | 10.2     |                                     |   |   |                              |
| 8. राहतगढ़               | 8.0      |                                     |   |   |                              |
| 9. जैसीनगर               | . .      |                                     |   |   |                              |
| 10. केसली                | 11.0     |                                     |   |   |                              |
| 11. मालथोन               | 2.0      |                                     |   |   |                              |
| 10. शाहगढ़               | 12.0     |                                     |   |   |                              |
| <b>13. जिला दमोह :</b>   | मिलीमीटर | 2. . .                              | 3. . .<br>4. (1) सोयाबीन, मूँग, ज्वार अधिक. उड़द, धान, मक्का, तुअर कम.<br>(2) उपरोक्त फसलें समान.                                 | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.  | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त. |
| 1. हटा                   | 60.0     |                                     |   |   |                              |
| 2. बटियागढ़              | 17.0     |                                     |   |   |                              |
| 3. दमोह                  | 34.0     |                                     |   |   |                              |
| 4. पथरिया                | 30.0     |                                     |   |   |                              |
| 5. जवेरा                 | 43.0     |                                     |   |   |                              |
| 6. तेन्दूखेड़ा           | 136.6    |                                     |   |   |                              |
| 7. पटेरा                 | 58.0     |                                     |   |   |                              |
| <b>14. जिला सतना :</b>   | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी चालू. रोपाई चालू. | 3. . .<br>4. (1) धान, उड़द, मूँग, तुअर, सोयाबीन, तिल, कोंदो-कुटकी. कम.<br>(2) . .   | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.   | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त. |
| 1. रघुराजनगर             | 72.6     |                                     |   |   |                              |
| 2. मझगवां                | 40.0     |                                     |   |   |                              |
| 3. रामपुर-(बघेलान)       | 55.0     |                                     |   |   |                              |
| 4. नागौद                 | 24.1     |                                     |   |   |                              |
| 5. उचेहरा                | 53.0     |                                     |   |   |                              |
| 6. अमरपाटन               | 90.0     |                                     |   |   |                              |
| 7. रामनगर                | 67.0     |                                     |   |   |                              |
| 8. मैहर                  | 11.0     |                                     |   |   |                              |
| 9. बिरसिंहपुर            | 17.0     |                                     |   |   |                              |
| <b>15. जिला रीवा :</b>   | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी चालू.             | 3. . .<br>4. (1) धान, मूँग, उड़द, सोयाबीन, ज्वार, तुअर कम.<br>(2) उपरोक्त फसलें समान.   | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.  | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त. |
| 1. त्योंथर               | 65.0     |                                     |   |   |                              |
| 2. सिरमौर                | 65.5     |                                     |   |   |                              |
| 3. मऊगंज                 | 85.0     |                                     |   |   |                              |
| 4. हनुमना                | 72.8     |                                     |   |   |                              |
| 5. हजूर                  | 93.4     |                                     |   |   |                              |
| 6. गुढ़                  | 192.2    |                                     |   |   |                              |
| 7. मनगवां                | 123.0    |                                     |   |   |                              |
| 8. सेमरिया               | . .      |                                     |   |   |                              |
| 9. जवा                   | . .      |                                     |   |   |                              |
| 10. नईगढ़ी               | . .      |                                     |   |   |                              |
| 11. रायपुर(कर्चुल्लियान) | 104.0    |                                     |   |   |                              |

| (1)                        | (2)      | (3)                               | (4)   | (5)   | (6)                          |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|---|---|------------------------------|
| <b>16. जिला शहडोल:</b>     | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी चालू रोपाई चालू | 3. . .<br>4. (1) मक्का, धान, तुअर. उड़द, तिल अधिक. सोयाबीन कम.<br>(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं                           | 5. अपर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त. |
| 1. सोहागपुर                | 66.0     |                                   |   |   |                              |
| 2. ब्यौहारी                | 131.0    |                                   |   |   |                              |
| 3. जयसिंहनगर               | 132.0    |                                   |   |   |                              |
| 4. बुढ़ार                  | 98.0     |                                   |   |   |                              |
| 5. गोहपारू                 | 174.0    |                                   |   |   |                              |
| 6. जैतपुर                  | 149.0    |                                   |   |   |                              |
| <b>17. जिला अनूपपुर :</b>  | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी चालू रोपाई चालू | 3. . .<br>4. (1) धान, मक्का, तुअर, कोहें-कुटकी, उड़द अधिक. सोयाबीन, तिल, कम. धान तुअर सुधरी हुई.<br>(2) उपरोक्त फसलें समान. | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.  | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त. |
| 1. जैतहरी                  | 128.6    |                                   |   |   |                              |
| 2. अनूपपुर                 | 117.4    |                                   |   |   |                              |
| 3. कोतमा                   | 131.6    |                                   |   |   |                              |
| 4. पुष्पराजगढ़             | 205.3    |                                   |   |   |                              |
| <b>18. जिला उमरिया :</b>   | मिलीमीटर | 2. जुताई, बोनी चालू रोपाई चालू    | 3. . .<br>4. (1) . .<br>(2) . .   | 5. अपर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त. |
| 1. बांधवगढ़                | 45.8     |                                   |   |   |                              |
| 2. पाली                    | 50.2     |                                   |   |   |                              |
| 3. चंदिया                  | . .      |                                   |   |   |                              |
| 4. नौरोजाबाद               | . .      |                                   |   |   |                              |
| 5. मानपुर                  | 104.7    |                                   |   |   |                              |
| <b>19. जिला सीधी :</b>     | मिलीमीटर | 2. जुताई, बोनी, रोपाई चालू        | 3. . .<br>4. (1) धान, तुअर, तिल, उड़द, मूँग कम. ज्वार, मक्का समान.<br>(2) उपरोक्त फसलें समान.                               | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.  | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त. |
| 1. गोपदवनास                | 138.2    |                                   |   |   |                              |
| 2. सिंहावल                 | 97.0     |                                   |   |   |                              |
| 3. मझौली                   | 147.0    |                                   |   |   |                              |
| 4. कुसमी                   | 107.5    |                                   |   |   |                              |
| 5. चुरहट                   | 109.6    |                                   |   |   |                              |
| 6. बहरी                    | 131.0    |                                   |   |   |                              |
| 7. रामपुरनैकिन             | 116.8    |                                   |   |   |                              |
| <b>20. जिला सिंगरौली :</b> | मिलीमीटर | 2. जुताई, बोनी, रोपाई चालू        | 3. . .<br>4. (1) मक्का ज्वार कोदों-कुटकी, समान. तुअर धान कम.<br>(2) उपरोक्त फसलें समान.                                     | 5. अपर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त. |
| 1. चितरंगी                 | 167.3    |                                   |   |   |                              |
| 2. देवसर                   | 161.2    |                                   |   |   |                              |
| 3. सरई                     | . .      |                                   |   |   |                              |
| 4. माडा                    | . .      |                                   |   |   |                              |
| 5. सिंगरौली                | 206.6    |                                   |   |   |                              |
| <b>21. जिला मंदसौर :</b>   | मिलीमीटर | 2. . .                            | 3. . .<br>4. (1) मक्का कम. सोयाबीन अधिक.<br>(2) उपरोक्त फसलें समान.   | 5. अपर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त. |
| 1. सुवासरा                 | . .      |                                   |   |   |                              |
| 2. भानपुरा                 | . .      |                                   |   |   |                              |
| 3. मल्हारगढ़               | . .      |                                   |   |   |                              |
| 4. गरोठ                    | 2.0      |                                   |   |   |                              |
| 5. मंदसौर-दलोदा            | 1.0      |                                   |   |   |                              |
| 6. श्यामगढ़                | . .      |                                   |   |   |                              |
| 7. सीतामऊ                  | 1.3      |                                   |   |   |                              |
| 8. दलोदा                   | . .      |                                   |   |   |                              |
| 9. धुंधड़क्का              | . .      |                                   |   |   |                              |
| 10. संजीत                  | . .      |                                   |   |   |                              |
| 11. कयामपुर                | . .      |                                   |   |   |                              |

| (1)                       | (2)      | (3) | (4)        | (5)  | (6)                             |              |
|---------------------------|----------|-----|------------|--|---------------------------------|--------------|
| <b>22. जिला नीमच :</b>    | मिलीमीटर | 2   | ..         | 3. ..  | 5. अपर्याप्त.                   | 7. पर्याप्त. |
| 1. जावद                   | ..       |     |            | 4.(1) सोयाबीन, मूँगफली अधिक.<br>उड़द, मक्का, तुअर, मूँग,<br>तिल, ज्वार कम. | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. नीमच                   | ..       |     |            | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं  |                                 |              |
| 3. सिंगौली                | ..       |     |            |  |                                 |              |
| 4. जीरन                   | ..       |     |            |  |                                 |              |
| 5. रामपुर                 | ..       |     |            |  |                                 |              |
| 6. मनासा                  | ..       |     |            |  |                                 |              |
| <b>23. जिला रतलाम :</b>   | मिलीमीटर | 2   | ..         | 3. ..  | 5. पर्याप्त.                    | 7. पर्याप्त. |
| 1. जावरा                  | 3.4      |     |            | 4.(1) सोयाबीन समान. मक्का<br>कपास कम.                                      | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. आलोट                   | ..       |     |            | (2) उपरोक्त फसलें समान.  |                                 |              |
| 3. सैलाना                 | 3.0      |     |            |  |                                 |              |
| 4. बाजना                  | ..       |     |            |  |                                 |              |
| 5. ताल                    | 7.2      |     |            |  |                                 |              |
| 6. रावटी                  | ..       |     |            |  |                                 |              |
| 7. पिपलोदा                | 53.0     |     |            |  |                                 |              |
| 8. रतलाम                  | 28.0     |     |            |  |                                 |              |
| <b>24. जिला उज्जैन :</b>  | मिलीमीटर | 2   | ..         | 3. ..  | 5. पर्याप्त.                    | 7. पर्याप्त. |
| 1. खाचरौद                 | ..       |     |            | 4. (1) सोयाबीन मक्का.  | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. महिदपुर                | 3.0      |     |            | (2) उड़द, तुअर अधिक.   |                                 |              |
| 3. तराना                  | ..       |     |            |  |                                 |              |
| 4. घटिया                  | ..       |     |            |  |                                 |              |
| 5. उज्जैन                 | ..       |     |            |  |                                 |              |
| 6. बड़नगर                 | ..       |     |            |  |                                 |              |
| 7. नागदा                  | ..       |     |            |  |                                 |              |
| <b>25. *जिला आगर :</b>    | मिलीमीटर | 2.  | ..         | 3. ..  | 5. ..                           | 7. ..        |
| 1. बड़ौद                  | ..       |     |            | 4. ..  | 6. ..                           | 8. ..        |
| 2. सुसनेर                 | ..       |     |            | ..   |                                 |              |
| 3. नलखेड़ा                | ..       |     |            |  |                                 |              |
| 4. आगर                    | ..       |     |            |  |                                 |              |
| <b>26. जिला शाजापुर :</b> | मिलीमीटर | 2.  | ..         | 3. ..  | 5. पर्याप्त.                    | 7. पर्याप्त. |
| 1. मोमनबड़ोदिया           | ..       |     |            | 4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार,<br>तुअर, उड़द अधिक.                          | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. शाजापुर                | ..       |     |            | (2) उपरोक्त फसलें समान.  |                                 |              |
| 3. शुजालपुर               | ..       |     |            |  |                                 |              |
| 4. कालापीपल               | ..       |     |            |  |                                 |              |
| 5. पोलाय कलां             | ..       |     |            |  |                                 |              |
| 6. अबंतीपुर बड़ौदिया      | ..       |     |            |  |                                 |              |
| 7. गुलाना                 | ..       |     |            |  |                                 |              |
| <b>27. जिला देवास :</b>   | मिलीमीटर | 2.  | बोनी चालू. | 3. ..  | 5. पर्याप्त.                    | 7. पर्याप्त. |
| 1. सोनकच्छ                | ..       |     |            | 4. (1) ..  | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. टोंकखुर्द              | ..       |     |            | (2) ..   |                                 |              |
| 3. देवास                  | ..       |     |            |  |                                 |              |
| 4. बागली                  | ..       |     |            |  |                                 |              |
| 5. कन्नोद                 | ..       |     |            |  |                                 |              |
| 6. हाटपिपल्या             | ..       |     |            |  |                                 |              |
| 7. सतवास                  | ..       |     |            |  |                                 |              |
| 8. उदयनगर                 | ..       |     |            |  |                                 |              |
| 9. खातेगांव               | ..       |     |            |  |                                 |              |

| (1)                         | (2)      | (3)                     | (4)   | (5)                             | (6)          |
|-----------------------------|----------|-------------------------|---|---------------------------------|--------------|
| <b>28. जिला झाबुआ :</b>     | मिलीमीटर | 2. . .                  | 3. . .  | 5. पर्याप्त.                    | 7. पर्याप्त. |
| 1. थांदला                   | . .      |                         | 4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार,<br>उड़द, तुअर अधिक.<br>कपास समान. | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. मेघनगर                   | . .      |                         | (2) उपरोक्त फसलें समान.   |                                 |              |
| 3. पेटलावद                  | . .      |                         |   |                                 |              |
| 4. रामा                     | . .      |                         |   |                                 |              |
| 5. झाबुआ                    | . .      |                         |   |                                 |              |
| 6. राणापुर                  | . .      |                         |   |                                 |              |
| <b>29. जिला अलीराजपुर :</b> | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी चालू. | 3. . .  | 5. पर्याप्त.                    | 7. पर्याप्त. |
| 1. जोवट                     | 5.3      |                         | 4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार,<br>बाजरा, उड़द, कपास<br>अधिक.     | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. अलीराजपुर                | 2.4      |                         | (2) . .   |                                 |              |
| 3. कट्टीवाड़ा               | 22.0     |                         |   |                                 |              |
| 4. सोडवा                    | . .      |                         |   |                                 |              |
| 5. उदयगढ़                   | . .      |                         |   |                                 |              |
| 6. चन्द्रशेखर आ. नगर        | 3.8      |                         |   |                                 |              |
| 7. भामरा                    | . .      |                         |   |                                 |              |
| <b>30.*जिला धार :</b>       | मिलीमीटर | 2. . .                  | 3. . .  | 5. . .                          | 7. . .       |
| 1. बदनावर                   | . .      |                         | 4. (1) . .  | 6. . .                          | 8. . .       |
| 2. सरदारपुर                 | . .      |                         | (2) . .   |                                 |              |
| 3. धार                      | . .      |                         |   |                                 |              |
| 4. कुक्षी                   | . .      |                         |   |                                 |              |
| 5. मनावर                    | . .      |                         |   |                                 |              |
| 6. धरमपुरी                  | . .      |                         |   |                                 |              |
| 7. गंधवानी                  | . .      |                         |   |                                 |              |
| 8. डही                      | . .      |                         |   |                                 |              |
| <b>31. जिला इन्दौर :</b>    | मिलीमीटर | 2. . .                  | 3. . .  | 5. पर्याप्त.                    | 7. पर्याप्त. |
| 1. देपालपुर                 | . .      |                         | 4. (1) . .  | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. सांवेर                   | . .      |                         | (2) . .   |                                 |              |
| 3. इन्दौर                   | 0.5      |                         |   |                                 |              |
| 4. गोतमपुरा                 | . .      |                         |   |                                 |              |
| 5. महु                      | . .      |                         |   |                                 |              |
| (डॉ. अम्बेडकर नगर)          |          |                         |   |                                 |              |
| <b>32. जिला खरगौन :</b>     | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी चालू. | 3. . .  | 5. पर्याप्त.                    | 7. पर्याप्त. |
| 1. बड़वाह                   | . .      |                         | 4. (1) . .  | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. महेश्वर                  | 0.4      |                         | (2) . .   |                                 |              |
| 3. सेगांव                   | 13.0     |                         |   |                                 |              |
| 4. खरगौन                    | 15.7     |                         |   |                                 |              |
| 5. गोगांवा                  | 14.2     |                         |   |                                 |              |
| 6. कसरावद                   | 5.0      |                         |   |                                 |              |
| 7. भगवानपुरा                | . .      |                         |   |                                 |              |
| 8. भीकनगांव                 | 1.0      |                         |   |                                 |              |
| 9. सनावद                    | . .      |                         |   |                                 |              |
| 10. झिरन्या                 | 8.4      |                         |   |                                 |              |
| <b>33. जिला बड़वानी :</b>   | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी चालू. | 3. . .  | 5. अपर्याप्त.                   | 7. पर्याप्त. |
| 1. बड़वानी                  | . .      |                         | 4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास,<br>ज्वार अधिक.                     | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. ठीकरी                    | 12.0     |                         | (2) . .   |                                 |              |
| 3. राजकोट                   | 1.0      |                         |   |                                 |              |
| 4. सेंधवा                   | 6.0      |                         |   |                                 |              |
| 5. पानसेमल                  | 8.0      |                         |   |                                 |              |
| 6. पाटी                     | . .      |                         |   |                                 |              |
| 7. अंजड                     | . .      |                         |   |                                 |              |
| 8. बरला                     | 5.0      |                         |   |                                 |              |
| 9. निवाली                   | 10.0     |                         |   |                                 |              |
| 10. चाचरिया                 | . .      |                         |   |                                 |              |

| (1)                         | (2)      | (3)            | (4)  | (5)                             | (6)          |
|-----------------------------|----------|----------------|--|---------------------------------|--------------|
| <b>34. जिला खण्डवा :</b>    | मिलीमीटर | 2. . .         | 3. . .   | 5. पर्याप्त.                    | 7. पर्याप्त. |
| 1. खण्डवा                   | . .      |                | 4. (1) सोयाबीन धान, कपास, मक्का,<br>मूँगफली, ज्वार, तुअर कम. | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. पुनासा                   | . .      |                | (2) उपरोक्त फसलें समान.                                      |                                 |              |
| 3. खालवा                    | 1.0      |                |  |                                 |              |
| 4. पंधाना                   | . .      |                |  |                                 |              |
| 5. हरसूद                    | . .      |                |  |                                 |              |
| <b>35. जिला बुरहानपुर :</b> | मिलीमीटर | 2. . .         | 3. . .   | 5. अपर्याप्त.                   | 7. पर्याप्त. |
| 1. बुरहानपुर                | . .      |                | 4. (1) . .   | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. खकनार                    | . .      |                | (2) . .  |                                 |              |
| 3. नेपानगर                  | 7.0      |                |  |                                 |              |
| <b>36. जिला राजगढ़ :</b>    | मिलीमीटर | 2. बोनी चालू.  | 3. . .   | 5. पर्याप्त.                    | 7. पर्याप्त. |
| 1. राजगढ़                   | 1.0      |                | 4. (1) . .   | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. जीरापुर                  | 3.0      |                | (2) . .  |                                 |              |
| 3. खिलचीपुर                 | 3.0      |                |  |                                 |              |
| 4. ब्यावरा                  | 1.2      |                |  |                                 |              |
| 5. सारंगपुर                 | . .      |                |  |                                 |              |
| 6. पचोर                     | . .      |                |  |                                 |              |
| 7. नरसिंहगढ़                | . .      |                |  |                                 |              |
| <b>37. जिला विदिशा :</b>    | मिलीमीटर | 2. रोपाई चालू. | 3. . .   | 5. पर्याप्त.                    | 7. पर्याप्त. |
| 1. लटेरी                    | 4.0      |                | 4. (1) सोयाबीन, उड़द समान.                                   | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिरोंज                   | . .      |                | (2) उपरोक्त फसलें समान.                                      |                                 |              |
| 3. कुरवाई                   | . .      |                |  |                                 |              |
| 4. बासोदा                   | . .      |                |  |                                 |              |
| 5. नटेरन                    | . .      |                |  |                                 |              |
| 6. विदिशा                   | . .      |                |  |                                 |              |
| 7. गुलाबगंज                 | . .      |                |  |                                 |              |
| 8. समसाबाद                  | . .      |                |  |                                 |              |
| 9. त्योदा                   | . .      |                |  |                                 |              |
| 10. पठारी                   | . .      |                |  |                                 |              |
| 11. ग्यारसपुर               | . .      |                |  |                                 |              |
| <b>38. जिला भोपाल :</b>     | मिलीमीटर | 2. रोपाई चालू. | 3. . .   | 5. अपर्याप्त.                   | 7. पर्याप्त. |
| 1. बैरसिया                  | 23.2     |                | 4. (1) उड़द, मूँग, ज्वार, धान, मक्का<br>अधिक. सोयाबीन कम.    | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. हुजूर                    | . .      |                | (2) उपरोक्त फसलें समान.                                      |                                 |              |
| 3. बैरागढ़                  | 17.0     |                |  |                                 |              |
| <b>39. जिला सीहोर :</b>     | मिलीमीटर | 2. . .         | 3. . .   | 5. पर्याप्त.                    | 7. पर्याप्त. |
| 1. सीहोर                    | . .      |                | 4. (1) मक्का, उड़द अधिक. सोयाबीन<br>ज्वार, मूँग, तुअर कम.    | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. आष्टा                    | . .      |                | गन्ना, धान समान.   |                                 |              |
| 3. इच्छावर                  | . .      |                | (2) उपरोक्त फसलें समान.                                      |                                 |              |
| 4. नसरुल्लागंज              | . .      |                |  |                                 |              |
| 5. रेहटी                    | 5.0      |                |  |                                 |              |
| 6. श्यामपुर                 | . .      |                |  |                                 |              |
| 7. जावर                     | . .      |                |  |                                 |              |
| 8. बुधनी                    | . .      |                |  |                                 |              |

| (1)                         | (2)      | (3)                                  | (4)   | (5)   | (6)                          |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|---|---|------------------------------|
| <b>40. जिला रायसेन :</b>    | मिलीमीटर | 2. बोनी चालू<br>रोपाई चालू           | 3. ..<br>4. (1) ..<br>(2) ..  | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त. |
| 1. रायसेन                   | ..       |                                      |   |   |                              |
| 2. गैरतगंज                  | ..       |                                      |   |   |                              |
| 3. बेगमगंज                  | ..       |                                      |   |   |                              |
| 4. गोहरगंज                  | ..       |                                      |   |   |                              |
| 5. बरेली                    | ..       |                                      |   |   |                              |
| 6. सिलवानी                  | 4.2      |                                      |   |   |                              |
| 7. बाड़ी                    | 4.0      |                                      |   |   |                              |
| 8. सुल्तानपुर               | ..       |                                      |   |   |                              |
| 9. उदयपुरा                  | ..       |                                      |   |   |                              |
| <b>41. जिला बैतूल :</b>     | मिलीमीटर | 2. ..                                | 3. ..<br>4. (1) सोयाबीन, धान, मक्का अधिक.<br>(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.               | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त. |
| 1. बैतूल                    | 1.0      |                                      |   |   |                              |
| 2. भैंसदेही                 | ..       |                                      |   |   |                              |
| 3. घोड़ाडोंगरी              | ..       |                                      |   |   |                              |
| 4. शाहपुर                   | ..       |                                      |   |   |                              |
| 5. चिचौली                   | ..       |                                      |   |   |                              |
| 6. मुल्ताई                  | 2.2      |                                      |   |   |                              |
| 7. आठनेर                    | ..       |                                      |   |   |                              |
| 8. आमला                     | ..       |                                      |   |   |                              |
| <b>42. जिला होशंगाबाद :</b> | मिलीमीटर | 2. बोनी चालू<br>रोपाई चालू           | 3. ..<br>4. (1) गन्ना.<br>(2) ..  | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त. |
| 1. होशंगाबाद                | ..       |                                      |   |   |                              |
| 2. सिवनी-मालवा              | 2.0      |                                      |   |   |                              |
| 3. बावई                     | 3.0      |                                      |   |   |                              |
| 4. इटारसी                   | ..       |                                      |   |   |                              |
| 5. सोहागपुर                 | 4.0      |                                      |   |   |                              |
| 6. पिपरिया                  | 12.8     |                                      |   |   |                              |
| 7. बनखेड़ी                  | 24.4     |                                      |   |   |                              |
| 8. डोलरिया                  | ..       |                                      |   |   |                              |
| 9. पचमढी                    | 18.8     |                                      |   |   |                              |
| <b>43. जिला हरदा :</b>      | मिलीमीटर | 2. ..                                | 3. ..<br>4. (1) धान, मक्का, उड़द, मूँग<br>अधिक. सोयाबीन कम.<br>(2) उपरोक्त फसलें समान.  | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त. |
| 1. हरदा                     | ..       |                                      |   |   |                              |
| 2. खिड़किया                 | ..       |                                      |   |   |                              |
| 3. सिराली                   | ..       |                                      |   |   |                              |
| 4. रेहटगांव                 | ..       |                                      |   |   |                              |
| 5. हॉडिया                   | ..       |                                      |   |   |                              |
| 6. टिमरनी                   | ..       |                                      |   |   |                              |
| <b>44. जिला जबलपुर :</b>    | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी चालू<br>रोपाई चालू | 3. ..<br>4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द,<br>सोयाबीन, मूँग कम.<br>(2) उपरोक्त फसलें समान. | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त. |
| 1. जबलपुर                   | 127.3    |                                      |   |   |                              |
| 2. कुण्डम                   | 104.0    |                                      |   |   |                              |
| 3. सीहोरा                   | 37.4     |                                      |   |   |                              |
| 4. पाटन                     | 34.2     |                                      |   |   |                              |
| 5. मझौली                    | 26.4     |                                      |   |   |                              |
| 6. शाहपुरा                  | 41.2     |                                      |   |   |                              |
| 7. पनागर                    | 99.8     |                                      |   |   |                              |
| <b>45. जिला कटनी :</b>      | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी चालू<br>रोपाई चालू | 3. ..<br>4. (1) ..<br>(2) ..  | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त. |
| 1. बहोरीबंद                 | 55.1     |                                      |   |   |                              |
| 2. ढीमरखेड़ा                | 107.5    |                                      |   |   |                              |
| 3. रीठी                     | 63.9     |                                      |   |   |                              |
| 4. बड़वारा                  | 122.0    |                                      |   |   |                              |
| 5. मुड़वारा (कट)            | 103.0    |                                      |   |   |                              |
| 6. विजयराघवगढ़              | 60.0     |                                      |   |   |                              |
| 7. बरही                     | 76.2     |                                      |   |   |                              |

| (1)                          | (2)      | (3)   | (4)   | (5)                             | (6)          |
|------------------------------|----------|---|---|---------------------------------|--------------|
| <b>46.*जिला नरसिंहपुर :</b>  | मिलीमीटर | 2. . .                                      | 3. . .  | 5. . .                          | 7. . .       |
| 1. नरसिंहपुर                 | . .      |   | 4. (1) . .  | 6. . .                          | 8. . .       |
| 2. गोटेगांव                  | . .      |   | (2) . .   |                                 |              |
| 3. करेली                     | . .      |   |   |                                 |              |
| 4. गाडरवारा                  | . .      |   |   |                                 |              |
| 5. तेंदूखेड़ा                | . .      |   |   |                                 |              |
| <b>47. जिला मण्डला :</b>     | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी चालू.<br>धान, रोपाई चालू. | 3. . .  | 5. पर्याप्त.                    | 7. पर्याप्त. |
| 1. मण्डला                    | 63.8     |   | 4. (1) . .  | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. नैनपुर                    | 35.4     |   | (2) . .   |                                 |              |
| 3. बिछिया                    | 45.9     |   |   |                                 |              |
| 4. निवास                     | 88.6     |   |   |                                 |              |
| 5. नारायणगंज                 | 76.4     |   |   |                                 |              |
| 6. घुघरी                     | 26.6     |   |   |                                 |              |
| <b>48. जिला डिण्डोरी :</b>   | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी चालू.<br>रोपाई चालू.      | 3. . .  | 5. पर्याप्त.                    | 7. पर्याप्त. |
| 1. डिण्डोरी                  | 64.6     |   | 4.(1) . .   | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. शाहपुरा                   | 71.9     |   | (2) . .   |                                 |              |
| 3. बजाग                      | 47.8     |   |   |                                 |              |
| <b>49. जिला छिन्दवाड़ा :</b> | मिलीमीटर | 2. रोपाई चालू.                              | 3. . .  | 5. पर्याप्त.                    | 7. पर्याप्त. |
| 1. छिन्दवाड़ा                | 5.6      |   | 4. (1) धान, मक्का अधिक.<br>मूँगफली समान.<br>सायाबीन कम. | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. तामिया                    | 3.0      |   | (2) उपरोक्त फसलें समान.                                 |                                 |              |
| 3. परासिया                   | . .      |   |   |                                 |              |
| 4. जामई जुन्नारदेव           | 5.0      |   |   |                                 |              |
| 5. सोंसर                     | 2.0      |   |   |                                 |              |
| 6. बिछुआ                     | 7.0      |   |   |                                 |              |
| 7. अमरवाड़ा                  | 9.2      |   |   |                                 |              |
| 8. चौरई                      | . .      |   |   |                                 |              |
| 9. उमरेठ                     | 3.6      |   |   |                                 |              |
| 10. मोहखेड                   | 1.0      |   |   |                                 |              |
| 11. हरई                      | 34.4     |   |   |                                 |              |
| 12. चांद                     | 5.4      |   |   |                                 |              |
| 13. पांढुर्णा                | . .      |   |   |                                 |              |
| <b>50. जिला सिवनी :</b>      | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी चालू.<br>रोपाई चालू.      | 3. . .  | 5. पर्याप्त.                    | 7. पर्याप्त. |
| 1. सिवनी                     | 26.4     |   | 4. (1) . .  | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. बरघाट                     | . .      |   | (2) . .   |                                 |              |
| 3. कुरई                      | . .      |   |   |                                 |              |
| 4. कवलारी                    | 25.0     |   |   |                                 |              |
| 5. लखनादोन                   | 25.2     |   |   |                                 |              |
| 6. छपारा                     | 48.3     |   |   |                                 |              |
| 7. धनोरा                     | 35.0     |   |   |                                 |              |
| 8. घंसीर                     | 91.0     |   |   |                                 |              |
| <b>51. जिला बालाघाट :</b>    | मिलीमीटर | 2. . .                                      | 3. . .  | 5. अपर्याप्त.                   | 7. पर्याप्त. |
| 1. बालाघाट                   | 32.2     |   | 4. (1) धान समान.  | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. लाँजी                     | 40.5     |   | (2) धान समान.   |                                 |              |
| 3. किरनापुर                  | 78.4     |   |   |                                 |              |
| 4. बैहर                      | . .      |   |   |                                 |              |
| 5. वारासिवनी                 | 24.7     |   |   |                                 |              |
| 6. कटंगी                     | 2.0      |   |   |                                 |              |
| 7. लालबर्वा                  | 3.0      |   |   |                                 |              |
| 8. तिरोडी                    | 7.0      |   |   |                                 |              |
| 9. परसवाड़ा                  | 31.6     |   |   |                                 |              |
| 10. बिरसा                    | 22.9     |   |   |                                 |              |
| 11. खैरलाँजी                 | 18.0     |   |   |                                 |              |

जिला:- जिला आगर, धार, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त हैं.

आर. पी. भारती,  
संयुक्त आयुक्त,  
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(01)